

कार्यपरिषद गठन एवं सदस्यों की सूची

क्रम	सदस्य का नाम व पता	दूरभाष नम्बर कार्यालय	दूरभाष नम्बर आवास एवं मोबाइल	मनोनीत सदस्य की तिथि	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1)क के अन्तर्गत अध्यक्ष (कुलपति)					
1	प्रो० मुकेश पाण्डेय,कुलपति / अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।	0510-2320497 0510-2321390	0510-2320046 0510-2320761(फैक्स)	10.12.2021	
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1)ख के अन्तर्गत प्रतिकुलपति यदि कोई हो					
2	रिक्ता..... प्रतिकुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी।				
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1) छ के अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित चार निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति					
3	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस० सी० वर्मा (से०नि०), इलाहाबाद हाईकोर्ट, निवास-7 / 7, मेट्रो सिटी,गेट नं०-१,निशातगंज,लखनऊ।				
4	प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सोलंकी, रसायन विभाग,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी।				
5	सुश्री सुमन सिंह, हिन्दी विभाग, दयानन्द गर्ल्स कालेज,कानपुर।				
6	श्री समीर बैन्द्रे, 5, सरस्वती ले आउट, दीन दयाल नगर, नागपुर-440022				
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1)ग के अन्तर्गत दो संकायाध्यक्ष चकानुक्रम से					
7	प्रो०एम०एम०सिंह, संकायाध्यक्ष— अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी , बु०वि०वि०,झाँसी।				
8	डा० शैलजा गुप्ता, संकायाध्यक्ष—शिक्षा ,डी०वि०कालेज,उरई				
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1) घ (i) के अन्तर्गत चकानुक्रम में विश्वविद्यालय का एक आचार्य, एक सहआचार्य एवं एक सहायक आचार्य					
9	प्रो० सी० बी० सिंह, आचार्य, बैंकिंग,अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग,बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी।				
10	डा० नूपुर गौतम,सहआचार्य,फूड टेक विभाग बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी				
11	श्री नवीन चंद पटेल,सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग,बु०वि०वि०,झाँसी				

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1) घ (ii)के अन्तर्गत चकानुक्रम में सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य एवं दो अन्य अध्यापक					
12	डा० राजेश चन्द्र पाण्डेय,प्राचार्य ,डी०वी०कालेज,उरई,				
13	डा०टी०के०शर्मा,प्राचार्य,विपिन बिहारी महाठ, झॉसी।				
14	डा० एस०के०राय,प्राचार्य,बी०के०डी०,झॉसी।				
15	डा०अभिलाष श्रीवास्तव,प्राध्यापक, वाणिज्य,अतर्रा कालेज,अतर्रा				
16	रिक्त.....,,				
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1) (ग ग) के अन्तर्गत चकानुक्रम में अन्य पिछ़ा वर्ग संवर्ग के आचार्य / सहआचार्य से दो सदस्य					
17	प्रो०वी०के०सिंह,आचार्य,भूगर्भ विज्ञान विभाग बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झॉसी				
18	डा०विनीत कुमार,सहआचार्य,पर्यावरण विज्ञान विभाग बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झॉसी।				
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1) (ग ग) के अन्तर्गत चकानुक्रम में अनुसूचित जाति या अनु०जनजाति संवर्ग के आचार्य / सहआचार्य से दो सदस्य					
19	प्रो० एम०एम०सिंह,आचार्य,भूगर्भ विज्ञान विभाग,बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झॉसी				
20	डा० संजय निभोरिया,सह आचार्य,पर्टन एवं होटल प्रबन्धन विभाग,बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झॉसी				
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1) च के अन्तर्गत सभा के सदस्यों द्वारा चयनित चार सदस्य					
21	रिक्त..... (निर्वाचन न होने के कारण)				
22	रिक्त..... (निर्वाचन न होने के कारण)				
23	रिक्त..... (निर्वाचन न होने के कारण)				
24	रिक्त..... (निर्वाचन न होने के कारण)				
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1) ज के अन्तर्गत ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा में मुल्यवान योगदान किया हो					
25	रिक्त.....				
उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या मु.म.-336 /सत्तर-1-5-15(58)/ 05 दिनांक 16 जनवरी 2006 के अनुपालन में					
26	रिक्त.....				
27	श्री वसी मोहम्मद, वित्त अधिकारी बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झॉसी	मो०न० 9076501604.			
28	श्री विनय कुमार सिंह,कुलसचिव / सचिव बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झॉसी				

